विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-24/16

मेसर्स सांध्य प्रकाश लिमिटेड, — आवेदक
सांध्य प्रकाश भवन,
मालवीय नगर, भोपाल म.प्र.

विरूद्ध

महाप्रबंधक (शहर) वृत्त/उपमहाप्रबंधक — अनावेदक
शहर संभाग (दक्षिण)
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
भोपाल म.प्र.

आदेश

(दिनांक 16.03.2017 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल के शिकायत प्रकरण क्रमांक 036/2016 मेसर्स सांध्य प्रकाश लि. भोपाल विरूद्ध महाप्रबंधक (शहर), मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. भोपाल में पारित आदेश दिनांक 28.06.2016 तथा आदेश जारी करने की दिनांक 22.8.2016 से असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा अपील अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 विद्युत लोकपाल कार्यालय में उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00–24/16 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 प्रकरण में दिनांक 21.11.2016 को सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा अपने प्रकरण के संबंध में तर्क के दौरान बताया गया कि उनके द्वारा वर्ष 2008 में उच्चदाब विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु रूपये 33,14,000/– बतौर सुरक्षा निधि हेतु जमा कराये गये थे जिस पर अनुज्ञप्तिधारी को 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज देकर उनके विद्युत देयकों में समायोजित करना चाहिए था।

04 आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण प्रथम), विनियम, 2009 की कंडिका 1.22 के अनुसार सुरक्षा निधि जमा करने की दिनांक से प्रचलित बैंक दर से उन्हें ब्याज दिया जाना चाहिए था परन्तु अनावेदक द्वारा विद्युत कनेक्शन देने के उपरांत अगले माह से ब्याज का समायोजन उनके विद्युत देयकों में किया जा रहा है जो कि उपरोक्त विनियम के विपरीत है। अतः सुरक्षा निधि जमा कराये जाने की दिनांक से ही ब्याज की गणना कर उसका समायोजन उनके विद्युत देयकों में करने के आदेश पारित करने का अनुरोध किया।

05 अनावेदक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की कार्यवाही चल रही है अतः सुनवाई की अगली तिथि देने का अनुरोध किया गया।

06 दिनांक 14.2.2017 को प्रकरण की सुनवाई पुनः प्रारंभ की गई जिसमें अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई । अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण प्रथम), विनियम, 2009 की कंडिका 1.23 के अनुसार आवेदक को विद्युत कनेक्शन देने की तिथि के उपरांत ही उनके द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि पर ब्याज प्राप्त करने का हकदार है न कि सुरक्षा निधि जमा कराने की तिथि से।

07 अनावेदक द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक को स्वयं अपने व्यय पर अपने प्रतिष्ठान का विद्युतीकरण कराना था जिसके अनुसार अनावेदक द्वारा दिनांक 28.8.2008 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। परन्तु आवेदक द्वारा व्यक्तिगत कारणों से प्राक्कलन स्वीकृत करने की दिनांक 28.8.2008 से लेकर विद्युत कनेक्शन देने की दिनांक 7.8.2014 तक स्वयं की कठिनाईयों के कारण समय–समय पर चरणबद्ध प्रक्रिया अनुसार भार में कमी की मांग में परिवर्तन करने का अनुरोध करता रहा तथा जिस पर अनावेदक द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया एवं अंत में संशोधित संविदा भार 1150 केवीए हेतु दिनांक 2.6.2014 को अनुबंध निष्पादित करने के पश्चात दिनांक 7.8.2014 को विद्युत कनेक्शन दे दिया गया। अनावेदक द्वारा अपनी लिखित बहस में (ओई–1) आवेदक द्वारा विभिन्न चरणों में की गई फेरबदल एवं उस पर अनावेदक द्वारा दी गई स्वीकृति का उल्लेख विस्तृत रूप में किया गया है।

08 उभय पक्षों के तर्कों को ध्यान में रखते हुए एवं प्रकरण में निर्णय देने से पूर्व विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण प्रथम), विनियम, 2009 का अवलोकन किया गया जिसकी कंडिका 1.22 एवं 1.23 निम्नानुसार है –

1.22 उपभोक्ता से ली गई प्रतिभूति निक्षेप नगद राशि पर, अनुज्ञप्तिधारी बैंक दर से (संबंधित वित्तीय वर्ष की 1 अप्रेल को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत प्रचलित दर पर) ब्याज देगा। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रचलित बैंक दर की जानकारी प्राप्त करने तथा बिलिंग प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को संसूचित करने का उत्तरदायित्व अनुज्ञप्तिधारी का होगा ।

1.23 अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को प्रतिभूति निक्षेप पर प्रतिमाह दिए जाने वाले ब्याज के बराबर राशि का समायोजन मासिक देयकों के माध्यम से करेगा। ऐसे समायोजन में तीन माह से अधिक का विलम्ब होने पर, उपभोक्ता संबंधित विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में शिकायत दर्ज करा सकेगा।

09 इस संबंध आवेदक एवं अनावेदक के बीच निष्पादित अनुबंध का भी अवलोकन किया गया जिसकी कंडिका 2(ए) के अनुसार

2(a) Commencement of this Agreement shall date either from the actual date on which the Consumer has begun to take electrical energy under this Agreement or the day immediately following the expiry of prescribed notice period of intimation of 90 days as per Electricity Supply Code, 2013 as in force and as amended from time to time served by

the Discom's Executive Engineer of the area on the Consumer that Supply of electrical energy is available under this Agreement, whichever is earlier.

उपरोक्त विनियम एवं अनुबंध की कंडिका के अनुसार यह स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि पर बैंक की दर से विद्युत उपभोक्ता को ब्याज का समायोजन उनके मासिक देयकों में किया जाना है। अनुबंध की कंडिका 2(ए) के अनुसार अनुबंध उपभोक्ता द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने की वास्तविक तिथि से लागू होगा अथवा कार्य पूर्ण होने पर 90 दिन की सूचना अवधि समाप्त होने पर जो पहले हो, से प्रभावशील होगा।

10 मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 में उपभोक्ता (कंज्यूमर) को परिभाषित किया गया जो निम्नानुसार है –

"उपभोक्ता (Consumer)" से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जिसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय किया गया हो एवम् इसमें वह व्यक्ति भी सम्मिलित होगा जिसके परिसर को अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत प्रणाली से तात्कालिक रूप से संयोजित किया गया हो या ऐसा व्यक्ति जिसने विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया हो या ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा विद्युत प्रदाय की सुविधा उपलब्धता की विधिवत सूचना के उपरान्त भी विद्युत प्रदाय की सुविधा प्राप्त न की गई हो, या जिसका विद्युत प्रदाय विच्छेदित किया गया हो ।

11 अतः उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि आवेदक जिसको कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रणाली से तत्कालीन रूप से संयोजित किया गया हो या विद्युत प्रदाय की सुविधा उपलब्धता की विधिवत सूचना की अवधि समाप्त होने के उपरांत विद्युत प्रदाय की सुविधा उपलब्ध कराई गई हो अथवा नहीं, उपभोक्ता माना जाएगा। उपरोक्त प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा निधि पर देय ब्याज अनुबंध प्रभावशील होने की तिथि से दिया जाना उचित होगा।

12 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 4.57 एवं 4.60 के अनुसार विद्युत प्रदाय उपलब्ध कराने के विस्तार कार्य अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा अथवा यदि उपभोक्ता स्वयं इच्छुक हो तो वह इस कार्य को निष्पादित कर सकेगा । कंडिका 4.63 के अनुसार उच्चदाब संयोजन पहुंच उपलब्ध कराये जाने पर 90 दिन के बीच करने की समय–सीमा निश्चित की गई। इस प्रकरण में प्रावधान के तहत अनावेदक द्वारा दिनांक 28.8.2008 को प्रथम बार प्राक्कलन स्वीकृत करके कार्य उपभोक्ता द्वारा निष्पादित करने हेतु स्वीकृति जारी की गई । परन्तु आवेदक द्वारा औपचारिकता पूर्ण न करने पर पुनरीक्षित स्वीकृति दिनांक 31.5.2013 को दी गई। उपरोक्त प्रावधान के अनुसार आवेदक दिनांक 31.8.2013 तक कार्य पूर्ण कर सूचना अनुज्ञप्तिधारी को दी जानी थी, परन्तु आवेदक द्वारा दिनांक 1.8.2014 को कार्य पूर्ण करने के पश्चात विद्युत स्थापना को विद्युतीकरण करने की अनुमति प्रस्तुत की।

13 इस प्रकरण में आवेदक द्वारा स्वयं के व्यय पर विद्युत प्राप्त करने के लिए कार्य संपादित किया गया तथा उनके द्वारा कार्य पूर्ण होने पर की गई विद्युत स्थापना को विद्युतीकरण करने की अनुमति दिनांक 1.8.2014 को अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय में प्रस्तुत की गई। उसके उपरांत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिनांक 7.8.2014 को विद्युत संयोजन जारी किया गया । अर्थात विद्युत स्थापना की चार्जिंग परमीशन प्रस्तुत करने के 90 दिन की समाप्ति के पूर्व ही

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत कनेक्शन दे दिया गया। अतः आवेदक एवं अनावेदक के बीच अनुबंध दिनांक 7.8.2014 से ही प्रभावशील माना जाएगा एवं आवेदक भी उसी दिन से अनुज्ञप्तिधारी का विधिवत उपभोक्ता होगा।

अतः आदेशित किया जाता है कि –

अ अनावेदक, आवेदक को अनुबंध प्रभावशील होने की तिथि से अर्थात् दिनांक 7.8.2014 से, जमा की गई सुरक्षा निधि पर प्रचलित बैंक दर से ब्याज का समायोजन उनके मासिक बिल में करे।

14 उभय पक्ष प्रकरण में हुए व्यय को अपना–अपना वहन करेंगे।

15 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल